मुख्यालय

स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति

मुख्य प्रशासनिक भवन, रमाबाई अम्बेडकर मैदान, शारदा नगर, लखनऊ-226002 (उ0प्र0)
E-mail: mngradho@gmail.com

संख्या-492/प्र.प्र./202/शूटिंग/2024 दिनांक 17 अक्टूबर, 2024

आदेश

स्मारक समिति के अधीन परिक्षेत्रों में फिल्मांकन, धारावाहिक कार्यक्रम, एलबम, विज्ञापन, व्यक्तिगत कार्यक्रमों की शूटिंग तथा प्री-वेडिंग शूट इत्यादि हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क में आंशिक वृद्धि करते हुए दिनांक 01 नवम्बर, 2024 से निम्नानुसार नवीन दरें प्रभावी होंगीः-

क्र.सं.	स्थल का नाम	कॉमर्शियल प्रयोजन हेतु दरें (06 घंटे तक)	कॉमर्शियल प्रयोजन हेतु दरें (06 घंटे के उपरान्त 24 घंटे तक)	प्री-वेडिंग शूट (संपूर्ण दिवस)
1	2	3	4	5
1	डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, गोमती नगर, लखनऊ का संपूर्ण क्षेत्र, जिसके अंतर्गत मुख्य स्मारक स्थल, प्रतिबिम्ब स्थल, स्तूपा तथा परिवर्तन गैलरी, हाथी गैलरी दर्शनीय स्थल हैं। कुल क्षेत्रफल 107 एकड़।	1,75,000.00	5,00,000.00	20,000.00
2	डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल से सम्बद्ध वाह्य क्षेत्र, गोमती नगर, लखनऊ के अंतर्गत			
	(i) गोमती पार्क (म्यूजिकल फाउंटेन)	1,25,000.00	3,00,000.00	20,000.00
	(ii) गोमती विहार खण्ड-1 (जोन-6) (iii) गोमती विहार खण्ड-2 (जोन-5) (iv) गोमती विहार खण्ड-3 (जोन-5) (v) 12 मूर्तियों वाला क्षेत्र (भागीदारी रोड) (vi) समतामूलक चौक से प्रतीक स्थल को जाने वाला मार्ग (गोमती रिवर फ्रंट का ऊपरी क्षेत्र) (vii) प्रतीक स्थल से पुलिस चौकी को जाने वाला मार्ग (मरीन ड्राइव/भागीदारी रोड का ऊपरी क्षेत्र)	1,25,000.00	2,50,000.00	15,000.00
3	मान्यवर श्री कांशीराम जी ग्रीन (ईको) गार्डेन, वी. आई.पी. रोड, आलमबाग, लखनऊ का संपूर्ण क्षेत्र, जिसके अंतर्गत ग्रीन हाउस, एनीमल गैलरी एवं खुला हरित क्षेत्र प्रमुख हैं। कुल क्षेत्रफल 112 एकड़	1,75,000.00	6,00,000.00	20,000.00
4	मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल, वी0आई0पी0 रोड, लखनऊ कुल क्षेत्रफल 40 एकड़	1,25,000.00	3,00,000.00	15,000.00
5	बौद्ध विहार शान्ति उपवन, वी.आई.पी. रोड, लखनऊ, कुल क्षेत्रफल 32.5 एकड़	1,25,000.00	2,50,000.00	15,000.00
6	मान्यवर श्री कांशीराम जी सांस्कृतिक स्थल एवं पार्क, आशियाना, लखनऊ। कुल क्षेत्रफल 81 एकड़			
7	रमाबाई अम्बेडकर मैदान एवं अन्य विभिन्न सम्बद्ध क्षेत्र, शारदा नगर, लखनऊ। कुल क्षेत्रफल 83 एकड़	1,25,000.00	3,00,000.00	15,000.00
8	राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन गार्डेन, सेक्टर-95, नोएडा। कुल क्षेत्रफल 82.5 एकड़	1,25,000.00	3,00,000.00	20,000.00
9	बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर पार्क एवं गौतम बुद्ध पार्क, बादलपुर। कुल क्षेत्रफल 16.08 एकड़	1,25,000.00	2,50,000.00	15,000.00

मुख्य प्रशासनिक भवन, रमाबाई अम्बेडकर मैदान, शारदा नगर, लखनऊ-226002 (उ0प्र0)

E-mail: mngradho@gmail.com

आवंटन सम्बन्धी नियम एवं शर्तें

1. आयोजक द्वारा आवंटन हेतु संबंधित परिक्षेत्र के प्रबंधक कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। परिक्षेत्र द्वारा पत्रावली तैयार कर मुख्यालय (प्रबंधक-प्रशासन कार्यालय) में प्रस्तुत की जाएगी।
2. आवंटन की स्वीकृति मुख्य प्रबंधक द्वारा प्रदान की जाएगी। स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित परिक्षेत्र को मुख्यालय द्वारा यथासमय सूचना प्रेषित कर दी जाएगी तथा परिक्षेत्र द्वारा आयोजक को समुचित सहयोग प्रदान किया जाएगा।
3. कॉमर्शियल प्रयोजन सम्बन्धी शूटिंग/आयोजन से पूर्व जिला प्रशासन की अनुमति आयोजक द्वारा प्राप्त कर ली जाएगी।
4. आयोजक द्वारा स्मारक के मूल स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
5. स्मारक के किसी भाग में कील आदि का प्रयोग नहीं किया जायेगा अथवा ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जायेगी, जिससे स्मारक के विरुपित व क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना हो।
6. स्मारक पर उसके सांसैतिक स्वरुप के अनुरूप ही फिल्मांकन/कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
7. आयोजक द्वारा शूटिंग का समय निर्धारित कर संबंधित परिक्षेत्र प्रबंधक कार्यालय को कम से कम 03 कार्यदिवस पूर्व सूचित करना अनिवार्य होगा।
8. शूटिंग/कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले समस्त सदस्यों/कलाकारों की सूची कम से कम 03 कार्यदिवस पूर्व संबंधित परिक्षेत्र प्रबंधक कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी। सूची में अंकित सदस्यों/कलाकारों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति/समूह को प्रवेश की अनुमति बिना प्रवेश टिकट क्रय किये नहीं दी जाएगी, भले ही वह व्यक्ति शूटिंग/कार्यक्रम का हिस्सा हो।
9. शूटिंग/कार्यक्रम के संबंध में पार्क परिसर में प्रवेश करने वाले समस्त वाहनों की सूची (वाहन संख्या एवं चालक के नाम व मोबाइल नंबर सहित) कम से कम 03 कार्यदिवस पूर्व संबंधित परिक्षेत्र प्रबंधक कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी। सूची में अंकित वाहनों के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन को पार्क में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
10. शूटिंग/कार्यक्रम के दौरान परिक्षेत्र में तैनात व्यवस्थापक (जनसम्पर्क एवं टिकटिंग) की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिससे आयोजन के पश्चात् की स्थिति का आंकलन किया जा सके। किंतु जहाँ पर व्यवस्थापक की उपलब्धता नहीं होगी, वहां समिति के किसी 01 उत्तरदायी कार्मिक, जिसका ग्रेड वेतन रु0 1900 से कम नहीं होगा, उपस्थित रहेगा।
11. शूटिंग/कार्यक्रम के दौरान स्थल को यदि कोई क्षति पहुँचती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति राशि आयोजक से वसूल की जाएगी।
12. आयोजन के फलस्वरूप यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है, तो स्मारक समिति एवं तृतीय पक्ष के संदर्भ में Liability आयोजक की होगी।
13. शूट की गयी फिल्म/धारावाहिक इत्यादि में वर्तमान ''सदस्य सचिव एवं मुख्य प्रबंधक, स्मारक समिति'' के नाम का अनिवार्य रूप से आभार प्रकट किया जाएगा एवं इसकी साफ्ट कापी समिति को उपलब्ध करायी जाएगी।
14. उपरोक्तानुसार आवंटन हेतु आवंटी संस्था को सरकार द्वारा निर्धारित जीएसटी राशि अतिरिक्त देय होगी।
15. कॉमर्शियल प्रयोजन के निमित्त आवंटी को कुल आवंटन शुल्क की 10 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करनी होगी। प्री-वेडिंग शूट हेतु प्रतिभूति राशि नहीं जमा करायी जाएगी।

मुख्यालय
स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति
मुख्य प्रशासनिक भवन, रमाबाई अम्बेडकर मैदान, शारदा नगर, लखनऊ-226002 (उ0प्र0)
E-mail: mngradho@gmail.com

16. आवंटन शुल्क, जीएसटी एवं प्रतिभूति राशि का समेकित आर.टी.जी.एस/NEFT/डिमाण्ड ड्राफ्ट संबंधित परिक्षेत्र के लेखा अनुभाग में कम से कम 03 कार्यदिवस पूर्व जमा की जायेगी, जिसकी पुष्टि लेखाकार/सहायक लेखाकार द्वारा प्रबंधक वित्त कार्यालय (मुख्यालय) से कर ली जाएगी। प्रतिभूति राशि सामान्य स्थिति में कार्यक्रम समापन के एक सप्ताह के भीतर प्रबंधक (वित्त) कार्यालय द्वारा आयोजक को वापस कर दी जाएगी। प्रतिभूति राशि की वापसी हेतु किसी अनुमोदन इत्यादि की आवश्यकता नहीं होगी।
17. किसी भी स्थल के आवंटन के बावजूद पर्यटकों का प्रवेश यथावत् जारी रहेगा।
18. यथावश्यकता सुरक्षा की व्यवस्था आयोजक को स्वयं करनी होगी।
19. शूटिंग/कार्यक्रम के दौरान विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था आयोजक को स्वयं करनी होगी। परिक्षेत्र द्वारा विद्युत आपूर्ति नहीं दी जाएगी।
20. पेयजल की व्यवस्था आयोजक को स्वयं करनी होगी।
21. प्री-वेडिंग शूट हेतु स्मारक समिति कर्मियों को निर्धारित शुल्क का 20 प्रतिशत शुल्क देय होगा, जिसके अंतर्गत कर्मियों के परिवार (बेटा, बेटी, सगे एवं चचेरे भाई-बहन, भतीजा-भतीजी, बुआ, चाचा तथा स्वयं) के सदस्य आच्छादित होंगे।
22. पूर्व में निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-815/प्र.प्र./52/2018 दिनांक 17.12.2018 इस सीमा तक संशोधित माना जाएगा।
23. प्रत्येक विषय पर सदस्य सचिव, स्मारक समिति का निर्णय अंतिम होगा।
24. वाद-विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।

(प्रथमेश कुमार)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः-

1- मुख्य प्रबंधक, स्मारक समिति।
2- प्रबंधक (प्रशासन/वित्त/अनुरक्षण), स्मारक समिति।
3- समस्त प्रबंधक, स्मारक समिति, लखनऊ/गौतम बुद्ध नगर।
4- अन्य सम्बन्धित।

(प्रथमेश कुमार)
सदस्य सचिव